न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 117/2021

1. कासीपा
2. कइफा पुत्रीयान गबरूद्दीन
3. अपसार पुत्र गबरूद्दीन नाबालिगान वली सरपस्त माताा खुद सहरूना पत्नी गबरूद्दीन जाति मेव निवासी घीसेडा तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

बनाम

1. गबरूद्दीन पुत्र फजरू जाति मेव निवासी घीसेडा तहसील पहाडी
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी
3. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रार्थीगण
2. श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 1

दिनांक :–14/03/2024

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 116/0.19, 565/0.17, 464/0.11, 586/0.24, 587/0.12, 683/0.55, 832/0.25, 842/0.04, 855/0.17, 783/0.12, 786/0.27 हैक्टर बांके ग्राम घीसेडा तहसील पहाडी में स्थित हैं जमाबंदी में दर्ज सहकाश्तकारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है क्योकि इनके विरूद्ध कोई दादरसी नहीं चाही गई है। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है जो प्रार्थीगण के दादा फजरू की खातेदारी की आराजी थी प्रार्थीगण के दादा फजरू की मृत्यु होने के उपरान्त विरासत का दाखिल खारिज अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गया। प्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से को अपने पिता गबरूद्दीन के साथ वाहिस्सा बराबर काश्त करते चले आ रहे है और आराजी मुतदाविया में वाहिस्सा बराबर का हिस्सा है तथा प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थी संख्या 1 भी अपने हिस्से को ही काश्त करता चला आ रहा है और आज भी आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थीगण का वाहिस्सा बराबर का कब्जा व काश्त है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 सम्पूर्ण आराजी पर अकेले का इन्द्राज होता चला आ रहा है जिसे प्रार्थीगण कलमजन कराकर अपने आपको अप्रार्थी संख्या 1 गबरूद्दीन के साथ वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने शौक मौज के लिये उक्त आराजी को बेचान करने की फिराक में है। जिसकी बाबत प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दिनांक 10/07/2021 को स्पष्ट शब्दो में दी है। प्राईमा फैसाई केस अपूर्णीय क्षति हम प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट होती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह कब्जे काश्त प्रार्थीगण में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आया और जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण का आराजी मुतदाविया पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और अप्रार्थी संख्या 1 पर अन्य लोगो के बहकावे में आकर गलत आरोप लगाते हुये झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिले खारिजी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावें। । अप्रार्थी संख्या 2 व 3 स्वयं उपस्थित आये ।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः**— प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी है परन्तु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 आपस में पिता पुत्र है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आराजी में हित निहित है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के वारिस है आराजी पैतृक होने के कारण प्रार्थीगण का उक्त आराजी में हित निहित है यदि अप्रार्थी संख्या 1 आराजी को खुर्द बुर्द (बेचान) करता है तो प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी संख्या 1 की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है।

2. **सुविधा सन्तुलन** :— प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी है परन्तु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 आपस में पिता पुत्र है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आराजी में हित निहित है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के वारिस है आराजी पैतृक होने के कारण प्रार्थीगण का उक्त आराजी में हित निहित है यदि अप्रार्थी संख्या 1 आराजी को खुर्द बुर्द (बेचान) करता है तो प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण में ही निहित है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

3. **अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी संख्या 1 की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थी संख्या 1 की अपेक्षा प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13/07/2021 को ताफैसला मुकदमा कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/03/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner